अमर उजाला

Budaun News: ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली क्रीम-पाउडर बेच रहे सात दुकानदारों पर रिपोर्ट

बदायूं। बाजार में सात दुकानों पर एक ब्रांडेड कंपनी के नाम से कॉस्मेटिक के नकली उत्पाद बेचे जा रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलिवर कंपनी की लीगल एटार्नी, फील्ड इन्वेस्टीगेटर और असिस्टेंट के साथ पुलिस ने इन दुकानों पर छापा मारा। यहां से करीब 21 कट्टा नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद हुए। सभी दुकानदारों के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

हिंदुस्तान यूनिलिवर कंपनी की लीगल एटार्नी बेंग्लुरू निवासी नयनतारा डेमी ने बताया कि वह अपने असिस्टेंट जोसेफ स्वामी और फील्ड इन्वेस्टीगेटर फरहा दीवा के साथ बदायूं आईं थीं। बाजार में छानबीन के दौरान पता चला कि खंडसारी मोहल्ले में सोहेल जनरल स्टोर, बाबू जनरल स्टोर, नदीम जनरल स्टोर, फराज कॉस्मेटिक, चूना मंडी में सरकार इंटरप्राइजेज, रजा ज्वेलरी और आनंदी कॉस्मेटिक पर लेक्मे कंपनी के नाम से कॉस्मेटिक के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं।

नकली उत्पादों पर कंपनी का नाम और रेपर का प्रयोग किए जाने से कंपनी की साख खराब हो रही है। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने सातों दुकानों पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली क्रीम, पाउडर, काजल आदि कॉस्मेटिक उत्पाद शामिल हैं।

लीगल एटार्नी की तहरीर पर पुलिस ने सोहेल जनरल स्टोर के मालिक सोहेल, बाबू जनरल स्टोर के मालिक समीर, नदीम जनरल स्टोर के मालिक नदीम, फराज कॉस्मेटिक के मालिक समीर कुरैशी, सरकार इंटरप्राइजेज के मालिक मोहम्मद आमिर, रजा ज्वेलरी के मालिक मोहम्मद इरफान और आनंदी कॉस्मेटिक के मालिक सुधीर रस्तोगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/budaun/report-on-seven-shopkeepers-selling-fake-cream-powder-in-the-name-of-branded-company-badaun-news-c-123-1-sbly1004-8635-2023-11-27